

म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान-भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/3/4/स्वी/विविध/742/पार्ट-1/ 815 भोपाल, दिनांक 20/09/2021

प्रति,

भारसाधक अधिकारी/सचिव, (समस्त)

कृषि उपज मण्डी समिति,

.....जिला (म०प्र०)

विषय:- प्रदेश की मण्डी समितियों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था बाबत।

-0-

उल्लेखित विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश की मण्डी समितियों में आने वाले किसानों/व्यापारियों एवं मण्डी के अन्य कृत्यकारियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आर.ओ./वाटर कूलर की आवश्यकता के संबंध में निम्नानुसार प्रारूप में भारसाधक अधिकारी से अनुमोदन कराकर जानकारी संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध करावे:-

| क्र० | वर्तमान में मण्डी में उपलब्ध आर.ओ./वाटर कूलर की संख्या | वर्तमान में मण्डी समिति को कितने लीटर के आर.ओ./वाटर कूलर की आवश्यकता है। | मण्डी समिति में प्रतिदिन आने वाले किसानों की संभावित संख्या | मण्डी समिति में प्रतिदिन आने वाले व्यापारियों की संभावित संख्या | पीक सीजन में प्रतिदिन आने वाले किसानों/व्यापारियों/कृत्यकारियों की संभावित संख्या | आर.ओ./वाटर कूलर क्य हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान |
|------|--|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (वित्त)

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/3/4/स्वी/विविध/742/पार्ट-1/ 816 भोपाल, दिनांक 20/09/2021

प्रतिलिपि:-

- (1) निज सचिव, प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन, भोपाल।
- (3) संयुक्त संचालक/ उप संचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन, आंचलिक कार्यालय, (समस्त) कृपया संभागान्तर्गत मण्डी समितियों से उपरोक्तानुसार जानकारी प्राप्त कर एकजाई जानकारी इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

अपर संचालक (वित्त)

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल